न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :- 46/2022

उनवान

1. घीसी देवी पत्नि बंशीधर जाति जाट निवासी जाजैकलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1 जगदीश पुत्र गणपत
2 बद्री पुत्र छोटू
3 रामजीलाल पुत्र गणपत
4 रामेश्वर पुत्र घीसा
5 हरफूल पुत्र गणपत
6 सोनी पत्नी गणपत
7 हीरा पुत्र छोटू
8 सरदार पुत्र स्व0 भैरू
9 सूणीलाल पुत्र स्व0 सुरजा
10 पूरणमल पुत्र स्व0 सुरजा
11 सोहनलाल उर्फ सोना राम उर्फ सोन्या पुत्र छोटू
12 सूणीलाल पुत्र महादेव
13 जयराम पुत्र मोतीराम
14 जगदीश पुत्र बंशीधर
15 ग्यारसी लाल पुत्र बंशीधर
समस्त आयु व्यस्क, समस्त जाति जाट निवासीयान, जाजैकलां, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
16 सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत जाजैकलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
17 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 23.1.2023

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 1651 रकबा 0.1200 है0, 1656 रकबा 0.1500 है0, 1658 रकबा 0.0400 है0,कुल किता 3 रकबा 0.3100 है0 वाके ग्राम जाजैकलां तहसील शाहपुरा प्रार्थीया की खातेदारी भूमि स्थित है। प्रार्थीया की भूमि के लगती अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है। अप्राथीगण प्रार्थीगया की भूमि की सींव डोल को काटकर अपने खेत में मिलाने पर आमादा रहते है तथा प्रार्थीया की भूमि पर जबरन लठ के जोर से कब्जा करना चाहते है। तहसीलदार शाहपुरा के आदेश कमांक/सीमा/ 2022/ 1166 दिनांक 05.4.2022 की पालना में दिनांक 5.4.2022 को पटवारी हल्का जांजैकला के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 5.4.2022 के बाद से पडौसी खातेदारान भूमि दबाना व मौका स्थिति सींव काट काट कर कब्जा करने की फिराक में है जिस कारण सीमाज्ञान के अनुसार मौके पर स्थायी सीमा पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण सं0 4 की ओर से श्री रविशंकर अग्रवाल एडवोकेट ने तथा अप्रार्थी 14 व 15 की ओर से श्री मदनलाल जाट एडवोकेट ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया । वकील अभय पक्ष को सुना गया तथा प्रकरण में पेश प्रार्थना पत्रों को विधिवत निर्णय करते हुए प्रकरण में वकील उभय पक्ष की दिनांक 16.1.2023 को अन्तिम बंहस सुनी गई ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

कील प्रार्थी की बहस सुनी । विद्वान प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को र करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नागत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 5.4.2022 को ाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को ना प्रारम्भ कर दिया है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय ा। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को जाहिर करते हुए हेर किया कि सीमाज्ञान रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है सभी की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढी जावे ।

हमने विद्वान अधिवक्तओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । करण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 5.4.2022 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान क्या गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी रवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना ादि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चेन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि ख.नं. 1651 रकबा 0.1200 है0, 1656 रकबा 0.1500 है0, 1658 रकबा 0.0400 है0,कुल किता 3 रकबा 0.3100 है0 वाके ग्राम जाजैकलां तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 5.4.2022 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/01/2023 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान